गिरधारीराम बनाम पूनमचन्द वगैरह
प्रार्थना पत्र 251क संख्या – 311/2015

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 311/2015

प्रार्थी :–

1. गिरधारीराम पुत्र सांवताराम
   जाति–मेघवाल, निवासी–मेहरवास, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. पूनमचन्द पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
2. श्यामसुन्दर पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
3. डूंगरराम पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
4. विक्रम पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण
5. सरोज पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण
6. नन्दकिशोर पुत्र बंशीलाल
7. हरकवंरी पत्नी बंशीलाल
   जातियान–ब्राहमण निवासीगण– मेहरवास, तहसील–जायल जिला–नागौर।
8. अरजाराम पुत्र किस्तुरराम जाति–जाट निवासी मेहरवास तहसील–जायल
9. राजस्थान सरकार तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री एस.एस.कालवी प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी अप्रार्थी संख्या 1 से 5, 6, 7, 8 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 9 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम मेहरवास का मूल निवासी है तथा गांव तेजासर तहसील जायल में उसकी खातेदारी तथा कब्जा सुदा भूमि खसरा नं. 1038 स्थित है, जिसके चिपते ही खसरा नं. 1042 की भूमि है जिसके मूल खातेदार मुकनलाल, रामजीवन व लक्ष्मीनारायण पुत्रगण किशनलाल है जिनमें से मुकनलाल व रामजीवण का देहान्त हो चुका है तथा वर्तमान में

01/07/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

उतराधिकारी व खातेदार/काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 से 7 है, तथा इसी के चिपते पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 8 का खेत खसरा नं. 231 स्थित है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 1038 में आने जाने के लिए रास्ता ग्राम मेहरवास से माताजी जाने वाली सड़क से होकर खसरा नं. 231 की दक्षिणी माठ के पास–2 आगे खसरा नं. 1042 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे उपभोग करता रहा है, जिसकी चौडाई 10 फीट है। खसरा नं. 1042 की दक्षिणी कांकड माठ ग्राम तेजासर व मेरवास की कांकड माठ है। उक्त रास्ता संलग्न नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के आलामात मौके पर मौजूद है लेकिन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया हुआ है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को कभी–कभी बंद किये जाने की धमकियां देते रहते है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत में आने जाने ,के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1038 में आवागमन हेतु कटाणी (मेहरवास से माताजी) रास्ते से फटकर खसरा नं. 231 व 1042 में से 10 फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत एवं घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 व 8 की ओर से वकील श्री इस्लामुदीन काजी ने इकबालिया जवाब पेश किया। तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 की ओर से वकालातनामा पेश किया।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वांछित भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 05.04.2021 के प्राप्त हुई। उक्त मौका रिपोर्ट में बताया कि खेत खसरा नं. 1038 में आने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है जो कि मौके पर चालू है। प्रस्तावित/वांछित रास्ते के मध्य में पक्का कमरा व हौद निर्मित है, मौके पर रास्ता पक्के निर्माण के उतरी तरफ से नजदीक होकर चालू है। प्रस्तावित रास्ते के लिए ग्राम तेजासर के खसरा नं. 1042 में रास्ते की लम्बाई 346 फीट के हिसाब से 0.0322 हैक्टैयर भूमि तथा खसरा नं. 231 ग्राम मेहरवास की कांकड माठ से 1175 फीट है जिसका रकबा 0.1092 हैक्टैयर बनता है। उक्त रास्ते के लिए उपभोग की भूमि की डी.एल.सी दर से कीमत 24450/– रू. आंकी गई है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है, जिसमें अप्रार्थीगण को सूचित किया जाना तथा प्रस्तावित रास्ते के संबंध में भू.अ. की मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है जो प्राप्त होकर शामिल मिसल है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या ,6 व 8 द्वारा जरिये इकबालिया जवाब

प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 व 8 श्री इस्लामुदीन काजी द्वारा जवाब/आपत्ति पेश नहीं करना चाहा तथा सीधे बहस हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र वर्ष 2015 से लम्बित चल रहा है। जबकि इस प्रकार के प्रकरण संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) के होने से 90 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में है। इसलिए प्रकरण में वकुलाय की सहमति पर मूल प्रार्थना पत्र 251क आर.टी.एक्ट पर बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए प्रस्तावित तथा मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा कटाणी रास्ते से नजदीकी रास्ता नहीं है, तथा उक्त रास्ते का उपभोग प्रार्थी शुरू से ही करते आ रहे है तथा मौके पर भी प्रस्तावित रास्ता भी चालू है, उक्त रास्ते को स्वीकृत किये जाने के संबंध में अप्रार्थी संख्या 6 व 8 ने अपनी सहमति जरिये इकबालिया जवाब व्यक्त की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम तेजासर तहसील जायल के खसरा नं. 1042 व ग्राम मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 231 में से मौका रिपोट भू.अ. निरीक्षक द्वारा दर्शाई गई डोटेड मार्क अनुसार 10 फीट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 8 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्यों को स्वीकार करते हुये प्रार्थी द्वारा चाहे गये व मौके पर प्रचलित वांछित/प्रस्तावित रास्ते को बन्द किये जाने संबंधी धमकी इत्यादि नहीं दी जाने तथा मौके पर प्रस्तावित रास्ते पर अप्रार्थीगण की रहवासी ढाणी व पानी का हौज निर्मित होने का कथन किया। साथ ही प्रस्तावित रास्ता जो कि मौके पर बिना किसी अवरोध के चालू होने के उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा गलत, मनगढत व बनावटी तथ्यों के आधार पर रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है जबकिं मौके पर प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधान के तहत किसी भी खातेदार, काश्तकार को यदि उसके खातेदारी खेत में कृषि कार्य हेंतु आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो तथा रास्ते की आत्यान्ति आवश्यकता होने पर निकटतम कटाणी रास्ते से आवश्यकतानुसार चौड़ाई में रास्ता दिये जाना होता है। जबकि प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा मौके पर चालू भी है। ऐसी स्थिति में जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो अनावश्यक रूप से

(एस.डी.ओ.) जायल

किसी खातेदार काश्तकार को मात्र सुविधात्मक दृष्टि से राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जवाब में आपत्ति की है कि प्रार्थी के खेताय में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 1042 231 में से रास्ते के रूप में उपलब्ध है। भू.अ. मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए निकटतम रास्ता खसरा नं. 346 ग्राम–तेजासर तहसील–जायल व खसरा नं. 231 ग्राम मेहरवास तहसील जायल की उतरी सींव पर मार्क (................) खसरा नं. 231 में पक्की ढाणी एवं पानी का हौद बना हुआ है तथा इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी दूसरा रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 05.04.2021 में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 1038 ग्राम तेजासर तहसील–जायल में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं होने का अंकन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। चूंकि प्रकरण हाजा में अप्रार्थी संख्या 2 व 6 ने प्रार्थना पत्र को जरिये इकबालिया जवाब स्वीकार किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 ने भी अपनी दलीलों में रास्ते से आवागमन होना स्वीकार किया है। इसलिए हमारी राय में भविष्य में उक्त रास्ते के विवाद न हो इसलिए उक्त प्रस्तावित रास्ता जो कि वर्तमान में कदीमी रास्ते के रूप में प्रचलित है तथा उपयोग में भी आ रहा है को कटाणी घोषित किया जाना उचित प्रतीत व न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251क आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी खेत खसरा नं. 1038 ग्राम– तेजासर तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 1042 ग्राम–तेजासर व खसरा नं. 231 ग्राम मेरवास तहसील जायल में से माफिक मौका रिपोर्ट भू.अ. में दर्शाये नजरी नक्शा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

अनुसार 10 फीट चौड़ाई के रास्ता बाबत प्रार्थी द्वारा धारा 251क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को अपने पक्ष में समपुष्ट करने से स्वीकार किया जाता है तथा कटाण घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम तेजासर व मेरवास तहसील–जायल के खसरा नं. 1042 व 231 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01/07/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

01/07/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल